न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 61/2020

GCMS NO. : 2020/00136

-:: प्रार्थीगण ::-

1. सोमता पत्नी रतनाराम
2. पिस्ता पुत्री रतनाराम
3. नैतु पुत्री रतनाराम
4. रेखा पुत्री रतनाराम
5. माधु पुत्र रतनाराम

जातियान बावरी निवासीगण ग्राम हुनावास कलां तहसील जैतारण जिला पाली।

बनाम

-:: अप्रार्थीगण ::-

1. रतनाराम पुत्र कानाराम जाति बावरी निवासी ग्राम हुनावास खुर्द तहसील जैतारण जिला पाली।
2. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी, जैतारण जिला-पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 17/12/2020

उपस्थित:. 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता, अप्रार्थी।

-:: निर्णय :

दिनॉक: 30/07/2021

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व ग्राम जोधावास पटवार हल्का देवरिया तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 11 रकबा 3-06 बीघा किस्म बारानी दोयम आई हुई है उक्त कृषि भूमि पर सायलान एवं गैरसायल स. 01 बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है, काश्त एवं रहवास के रुप में उपयोग-उपभोग करते आ रहे है। उक्त खसरान की भूमि को प्रार्थना पत्र में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि सायलान के आजीविका का मुख्य स्त्रोत है उक्त भूमि में पैदावार फसल से ही सायलान अपना भरण-पोषण करते आ रहे है उक्त वादग्रस्त भूमि के अलावा सायलान के काश्त व रहवास हेतु अन्य कोई भूमि नहीं है मगर गैरसायल सं. 01 रतनाराम का मानसिक सन्तुलन ठीक नहीं है वो आवारा-बदमाश व्यक्तियों के साथ शराब पीकर परिवार का माहौल खराब कर दिया। आये दिन गैरसायल सं. 01 रतनाराम शराब पीकर सायलान के साथ गाली गलौच करता है साथ ही रुपयों-पैसों की मांग करता है, रोजमर्रा के घरेलु बर्तन बेचकर शराब पीने से उसे कोई होश-हवास नहीं रहता है इस कारण से सायलान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है केवल वादग्रस्त कृषि भूमि में पैदावार फसल से ही पालन-पोषण, खाना-कमाना होता है। गैरसायल सं. 01 रतनाराम शराब-नशे का आदी होने से वादग्रस्त कृषि भूमि को अजनबी व्यक्तियों को बचान, हस्तान्तरण करने पर आमादा है इसी उद्देश्य से दिनांक 03/11/2020 को गैरसायल सं. 01 ने वादग्रस्त आराजी से

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.26 17:04:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

सायलान को बेदखल करने एवं अन्य व्यक्तियों को बचान, हस्तान्तरण करने की एलानिया धमकी दी, जबकि गैरसायल सं. 01 रतनाराम को वादग्रस्त कृषि भूमि को बैचान, हस्तान्तरण करने का कोई कानूनी हक अधिकार नहीं है ना ही सायलान को एकमात्र कब्जा काश्त, रहवास की भूमि से वंचित करने का अधिकार है यदि गैरसायल रतनाराम नशे की हालत में ऐसा किया गया तो सायलान उन्हें ऐसा हरगीज करने नहीं देगा, जिससे मौके पर टण्टा फसाद होगा, सायलान को गैरसायल सं. 01 के विरूद्ध बार-बार दिवानी/फौजदारी मुकदमें करने पड़ेंगे, जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिंडिग्स होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं है ना ही होने वाली क्षति का मूल्यांकन रुपयो/पैसों में आंका जा सकता है इसलिए सायलान, गैरसायलान को वादग्रस्त कृषि भूमि का किसी अजनबी व्यक्तियों को बचान, हस्तान्तरण व मुन्तकिल या रेकर्ड परिवर्तन करने से अस्थाई निषेधाज्ञा के रूकवाने के कानूनी अधिकारी है इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलगण के पेश है। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों एवं मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर सायलान के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में है यदि गैरसायलान शराब के नशे में वादग्रस्त भूमि को खुर्दबुर्द करने, हस्तान्तरण करने, या रेकर्ड परिवर्तन करने से अपूर्णीय क्षति सायलान को होगी, इसलिए अपूर्णीय क्षति का प्रश्न भी सायलान के पक्ष में साबित है इसलिए सायलान वादग्रस्त कृषि भूमि के बाबत् गैरसायलान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान के पेश है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेज पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम जोधावास पटवार हल्का देवरिया तहसील जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 11 रकबा 3-06 बीघा किस्म बारानी दोयम स्थित है जिस पर सायलान एवं गैरसायलान सं. 01 बतौर खातेदार काश्तकार के काबिज है वादग्रस्त कृषि भूमि को शराब पीने के वास्ते अजनबी व्यक्तियों को बैचान, हस्तान्तरण या रेकर्ड परिवर्तन इत्यादि करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के गैरसायलान मय नौकर, चाकर, हाली, एजेन्ट, परिवारजन को वाद के अन्तिम निर्णय तक रोका जावे।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायल को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायल द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, जो सा.मि. है। गैरसायल द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से जबाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। [illegible] दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का [illegible] निम्नानुसार है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.26 17:34:39 IST
Reason: SelfAttested

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः-** प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 रतनाराम जो कि प्रार्थीगण का क्रमशः पति एवं पिता है, के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का वाद प्रस्तुत कर ताफैसला वाद अस्थाई

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है। प्रार्थीगण ने हस्तगत प्रार्थना-पत्र में यह कथन किया है कि सायलान एवं गैरसायल संख्या 1 वादग्रस्त आराजी ग्राम जोधावास खसरा संख्या 11 रकबा 3-06 बीघा किस्म बा.दो. में बतौर खातेदार दर्ज है। सायलान का नाम जमाबंदी में बतौर खातोदर काश्तकार दर्ज नहीं है। अतः मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि केवल खातेदार ही अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर सकता है जबकि सायलान वादग्रस्त आरजी के खातेदार नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः-** चुंकि वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण/सायलान के पक्ष में साबित नहीं हुआ है साथ ही गैरसायल संख्या 1 वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज है अतः सुविधा का संतुलन गैरसायल संख्या 1 के पक्ष में निहित होना माना जाता है न कि सायलान के पक्ष में। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः-** चुंकि पूर्व विवेचित दोनों बिंदू प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित हुए है एवं वादग्रस्त आराजी गैरसायल संख्या 1 की खातेदारी भूमि है जिसमें प्रार्थीगण बतौर सहखातेदार दर्ज नहीं है। साथ ही प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे कि प्रार्थीगण के वादग्रस्त आराजी के बतौर खातेदार काबिज होने के कथन साबित होते हो। अतः यदि खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तो उसे अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग/उपभोग से महरूम होना पड़ेगा एवं उसे अपूरणीय क्षति हो सकती है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विभ्रम अभिमत है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र भली भांति साबित नहीं होने व सारहीन होने से अस्वीकार किया जाना विधि-संगत एवं उचित रहेगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थीगण के पक्ष में भली-भांति साबित नहीं व सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.26 17:34:39 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनॉक 30/07/2021 को सरे-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-पाली (राज.)